राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बिहारी लाल बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/02/2026	177/2026 223	

कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज पेश हुई | पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन वाद पेश किया, जिसका समुचित अध्ययन किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये वाद में वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थी का नाम पहले छाजूलाल पुत्र किशना के स्थान पर बिहारीलाल पुत्र किशनलाल रहा हो, के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही होना अंकित कर ख़ारिज कर दिया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात से यह बिन्दु स्पष्ट था | अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में हमारा ध्यान अपील पत्रावली पर उपलब्ध राजस्थान राज-पत्र साधारण (साधिकार प्रकाशित) एवं आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि की प्रतियों की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि उक्त दस्तावेजात से ही अपीलार्थी/वादी के तथ्य प्रमाणित होकर स्पष्ट हो जाते है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी दस्तावेज पर गौर किये बगैर ही मनमाने रूप से सरकारी निर्णय पारित करते हुये वाद को गलत रूप से ख़ारिज कर दिया गया | अत: अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है | विधि के प्रावधानों के अनुसार भी धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद को साक्ष्य-सबूत का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/04/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूत का विस्तृत परिक्षण कर उन्हें विवेचित करते हुये विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |